भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र
2 री मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यू मरीन लाइन्स, 101, महर्षी कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र - (022)22039680, फॅक्स - 22086984
ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाइट : http://agmaha.cag.gov.in

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA
2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

पंजीकृत डाक

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं.P/21/Govt/61136892/**Madhya Pradesh**/Ch.5/जा.सं. 61018749 20/1/2022

सेवा में,
1. सभी खजाना कार्यालय,

2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,
लेखा-को भवन, ए विंग,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,
मुंबई-400 051.

विषय --**Grant of Dearness Relief @196% w.e.f. 01/07/2021 on Pension/Family pension of the Retired Judicial Officers of Madhya Pradesh State Govt. (Existing rate from 189% to 196%).**

संदर्भ --**Govt. of Madhya Pradesh, Law & Legislative Affairs Dept. Bhopal, Order No. 4124/21—21–ब(एक) 2021 dated 08/11/2021.**

महोदय,

उपरनिर्दिट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Madhya Pradesh, Gwalior** के पत्र संख्या Pension/2163 दिनांक 25/11/2021 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है

3. सभी **Retired Judicial Officers** सरकार **Madhya Pradesh** के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।

4. **The said Orders have been uploaded on this office website.i.e. cag.gov.in/ae/mumbai/en**

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/21/Govt/61136892/Madhya Pradesh/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार **(लेखा व हकदारी)-II, महाराट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)**
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
8. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5th Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya – 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) , **Madhya Pradesh, Gwalior** के पत्र संख्या Pension/2163 दि.25/11/2021.

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्र.क्रमांक 4124/21–ब(एक)/2021 भोपाल, दिनांक 08.11.2021

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

005727
21634

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.07.2021 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत के भुगतान बावत्।**

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–II(बी), दिनांक 01.11.2021 के द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिनांक 01.07.2021 से 189 से बढ़ाकर 196 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता/राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम–11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत सदस्यों को दिनांक 01.07.2021 से पेंशन पर राहत 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–II(बी), दिनांक 13.08.2021 एवं उसके अनुक्रम में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 01.11.2021 में बताई गई रीति से होगा।

(2) इस आदेश के तहत देय महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.07.2021 से नगद किया जावेगा।

(3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(गोपाल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

15 NOV 2021

DA Orders of Judicial Officers